बिल का संक्षिप्त विश्लेषण कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड बिल, 2015

8 मई, 2015 को लोक सभा में इस बिल को पेश किया गया था।

इसे 21 मई, 2015 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के पास विचारार्थ भेजा गया था। समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमा करेगी।

हाल के संक्षिप्त विश्लेषण:

वियुत (संशोधन) बिल. 2014

24 नवंबर, 2015

व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण (संशोधन) बिल 2015

29 सितंबर, 2015

अनविति चतुर्वेदी

anviti@prsindia.org

24 नवंबर, 2015

बिल की मुख्य बातें

- बिल द्वारा भारत के लोक लेखा (पब्लिक अकाउंट्स) के तहत नेशनल कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड स्थापित किया गया है, और प्रत्येक राज्य के पब्लिक अकाउंट्स के तहत राज्य कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड को स्थापित किया गया है।
- इन फंड्स में निम्न के लिए भुगतान प्राप्त किया जाएगा: (i) कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन, (ii)
 वन की नेट प्रेज़न्ट वैल्यू (एनपीवी), और (iii) परियोजना विशेष अन्य भुगतान। राष्ट्रीय
 फंड को इन फंड्स का 10% हिस्सा और राज्य फंड्स को शेष 90% मिलेगा।
- इन फंड्स से मुख्य रूप से वन आवरण की हानि की क्षितिपूर्ति के लिए वनरोपण, वन इकोसिस्टम फिर से बनाने, वन्यजीव संरक्षण और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए धन खर्च किया जाएगा।
- बिल राष्ट्रीय और राज्य कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेन्ट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज़
 (कैम्पा) भी स्थापित करता है ताकि राष्ट्रीय और राज्य फंड्स की व्यवस्था की जा सके।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

- बिल कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन और वन संरक्षण के लिए फंड्स की स्थापना करता है।
 फंड के प्रबंधन के अलावा भी कई कारक हैं जो कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन और वन संरक्षण को प्रभावित करते हैं। वह कारक निम्नलिखित हैं।
- 2013 की सीएजी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि राज्य वन विभागों में कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन और वन संरक्षण करने की योजना बनाने और उसे पूरा करने की क्षमता का अभाव है। राज्यों का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 90% करने से, जब राज्यों को ज़्यादा धन मिलेगा तब धन का असरदार उपयोग राज्य वन विभागों की क्षमता पर निर्भर करेगा।
- कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन के लिए भूमि मिलना मुश्किल है क्योंकि भूमि एक सीमित संसाधन है, जिसकी ज़रूरत एक से ज़्यादा उद्देश्यों के लिए होती है, जैसे कृषि, उद्योग, आदि। इसके अलावा, आमतौर पर भूमि अधिकार अस्पष्ट होते हैं, और भूमि उपयोग के लिए प्रक्रियाओं का अनुपालन मुश्किल होता है।
- पर्यावरण कानून पर एक उच्च स्तरीय सिमिति ने गौर किया कि 1951 और 2014 के बीच वन आवरण की गुणवत्ता में गिरावट आई है। इसका एक कारण कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन की खराब गुणवत्ता भी है।
- बिल में एनपीवी (वन की नेट प्रेज़न्ट वैल्यू) के निर्धारण का जिम्मा केंद्र सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी को दिया गया है। एनपीवी की गणना का तरीका महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह फंड की कुल रकम का लगभग आधा हिस्सा है।

6.747 (यानि 80%)

भाग अ: बिल की मुख्य बातें संदर्भ

संविधान की समवर्ती सूची की एंट्री 17ए के तहत वनों पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण होता है। राज्यों के अंदर वन भूमि की पहचान राज्य सरकारें करती हैं। वन भूमि का संरक्षण एवं नियमन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 और फॉरेस्ट (कॉन्सर्वेशन) एक्ट, 1980 (एफ़सीए) जैसे विभिन्न कानूनों के तहत किया जाता है। एफ़सीए वह प्रमुख कानून है जिसके तहत गैर-वन उद्देश्यों (जैसे औद्योगिक या बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं) के लिए वनों का अपवर्तन (डाइवर्शन) या उपयोग किया जाता है।

जब कोई एजेंसी परियोजना के लिए वन भूमि का डाइवर्शन करती है, तब वन आवरण की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए वनरोपण करना चाहिए। इसे 'कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन' कहा जाता है। जब कोई एजेंसी वन भूमि का डाइवर्शन चाहती है तब बदले में उसे, कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन के लिए, राज्य को दूसरी भूमि देनी चाहिए और पेड़ लगाने एवं उनके रखरखाव के लिए भुगतान करना चाहिए। इसके अलावा, पर्यावरणीय सेवाओं की हानि की क्षतिपूर्ति वन की एनपीवी के भुगतान से की जानी चाहिए। परियोजना संबंधी अन्य भुगतान भी हो सकते हैं। वर्तमान में, कंपेनसेटरी

तालका ।: डाइवशन पर तथ्य (वर	ग किमा म)
कुल वन आवरण (2013)	697,898
वन डाइवर्शन (1980-2014)	12,006
कंप्रेनमेटरी भफोरेम्ट्रेशन का लक्ष्य	8 482

*। हेक्टेयर तक वन भूमि के उपयोग वाली परियोजनाओं, 3 मीटर से नीचे भूमिगत खनन, आदि के लिए कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है।

स्रोतः वनों की स्थिति रिपोर्ट 2013; संसदीय प्रश्न¹; पीआरएस।

कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन प्राप्त

अफोरेस्टेशन और एनपीवी भुगतान का हिस्सा राज्यों द्वारा इकट्ठा किए गए कुल धन का क्रमशः 13% और 51% होता है।³ तालिका 1 में एफ़सीए के तहत हुए वन डाइवर्शन और कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन की जानकारी दी गई है।

2002 में, सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि राज्य इकट्ठा किए गए धन का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, और आदेश दिया कि कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड में इस धन को राष्ट्रीय स्तर पर एक जगह इकट्ठा किया जाए। इसके बाद, कोर्ट ने इस फंड की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेन्ट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज़ (राष्ट्रीय कैम्पा) की स्थापना की। इस अथॉरिटी को वैधानिक रूपरेखा प्रदान करने के लिए 2008 में संसद में एक बिल पेश किया गया था जो 14वीं लोक सभा भंग होने के साथ ही अप्रभावी हो गया। 2009 में, राज्यों ने भी राज्य कैम्पा की स्थापना की जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय कैम्पा से 10% धन प्राप्त होता है और जिसका उपयोग वह वनरोपण और वन संरक्षण के लिए करते हैं। 2013 की सीएजी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि इस धन का अभी भी पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। मई 2015 तक, अकेले राष्ट्रीय कैम्पा में ही 38,000 करोड़ रुपए जमा थे जिन्हें खर्च नहीं किया गया था।

इकट्ठा किए गए धन के नियमित करने के लिए लोक सभा में 8 मई, 2015 को कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड बिल, 2015 पेश किया गया था। वर्तमान में पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति इस बिल की जाँच कर रही है।

मुख्य विशेषताएँ

फंड की स्थापना और प्रबंधन

बिल में कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन, वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य फंड्स की स्थापना की गई है और इन्हें क्रमशः भारत के पब्लिक अकाउंट्स, या संबंधित राज्य के पब्लिक अकाउंट्स के तहत लाया गया है।*

तालिका 2: राष्ट्रीय और राज्य फंड्स की विशेषताएँ

विषय	राष्ट्रीय फंड	राज्य फंड
वन डाइवर्शन के	 सभी तरफ से इकट्ठा धन का 10% 	• सभी तरफ से इकट्ठा धन का 90%
लिए इकट्ठा धन	(वर्तमान में, केंद्र इकट्ठा किए गए धन का 90% रखता	
को साझा करना	है, और राज्यों को 10% देता है)	
धन का उपयोग	 वन या वन्यजीव क्षेत्रों से संबंधित योजनाएँ; राष्ट्रीय फंड और राज्य फंड्स से होने वाली गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन 	 कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन अंश: वन डाइवर्शन के साथ-साथ सरकार द्वारा स्वीकृत स्थान विशेष योजनाओं पर; नेट प्रेज़न्ट वैल्यू अंश: वन पुनर्सृजन एवं संरक्षण, और बुनियादी ढांचे के विकास पर
फंड प्रबंधन अथॉरिटीज़	 राष्ट्रीय कैम्पा की स्थापना की जाएगी जिसमें 49 तक सदस्य होंगे (पर्यावरण मंत्री, सरकारी और वन अधिकारी, विशेषज्ञ); राष्ट्रीय कैम्पा में शामिल हैं: (i) पॉलिसी तैयार करने के लिए गवर्निंग बॉडी, (ii) निगरानी और ऑडिटिंग के लिए निगरानी समूह, और (iii) योजनाओं पर निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के किए एक कार्यकारी समिति 	 राज्य कैम्पा की स्थापना की जाएगी जिसमें 52 तक सदस्य होंगे (मंत्री, सरकारी और वन अधिकारी, विशेषज्ञ, एनजीओ और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि); राज्य कैम्पा में शामिल हैं: (i) पॉलिसी तैयार करने के लिए गवर्निंग बॉडी, (ii) उपयोग पर निगरानी रखने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी, और (iii) वार्षिक कार्यों पर निर्णय लेने और पर्यवेक्षण के लिए एक कार्यकारी समिति

24 नवंबर, 2015 - 2 -

ै प्रोविडेंट फंड्स में जमा धन, छोटी बचतें, विशेष परियोजनाओं पर खर्च के लिए सरकारी आय, आदि पब्लिक अकाउंट्स का हिस्सा होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स के धन का उपयोग किसी नियत विशेष उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।

नेट प्रेज़न्ट वैल्यू (एनपीवी) का निर्धारण

एनपीवी डाइवर्टड वन क्षेत्र से प्राप्त पर्यावरण संबंधी सेवाओं का मूल्यांकन होता है। इसमें निम्न शामिल होंगे: (i) माल व सेवाएँ (जैसे लकड़ी और पर्यटन), (ii) नियामक सेवाएँ (जैसे जलवायु नियमन), (iii) अभौतिक लाभ (जैसे प्रेरणात्मक), आदि। एनपीवी का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ (एक्सपर्ट) कमेटी द्वारा किया जाएगा।

भाग बः प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

वे कारक जो कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन और वन संरक्षण को प्रभावित करते हैं

बिल के "उद्देश्य और कारण", बिल के क्लॉज़ 3, 4, 5 और 6 यह बिल राष्ट्रीय और राज्य फंड्स का गठन करता है जो वन भूमि के गैर-वन उद्देश्यों (जैसे औद्योगिक या बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं) के लिए डाइवर्शन के भुगतान जमा करते हैं। वर्तमान में, फंड का 90% धन केंद्र रखता है, और बाकी राज्यों में बाँट दिया जाता है। बिल में इसे पलट कर राष्ट्रीय फंड को 10%, और राज्य फंड्स को 90% दिया गया है। इस तरह यह बिल, कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन और वन संरक्षण के लिए, राज्यों को और ज्यादा धन उपलब्ध कराता है।

कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन का मतलब होता है वन आवरण के नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए वनरोपण करना। वन संरक्षण का मतलब होता है वनों का पुनर्सृजन, वन और वन्यजीव संरक्षण, इन उद्देश्यों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, आदि। फंड के प्रबंधन के अलावा, ऐसे कई कारक हैं जो कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन और वन संरक्षण को प्रभावित करते हैं। इनमें शामिल हैं:

- क्षमता की कमी: 2013 की सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में, यह गौर किया गया था कि राज्यों ने केंद्र से मिले धन का 39% उपयोग नहीं किया क्योंकि उनके वन विभागों में योजना बनाने और उसे लागू करने की क्षमता का अभाव था। ऑडिट किए गए 30 में से 11 राज्य 2009 और 2012 के बीच प्राप्त धन के आधे से भी ज़्यादा हिस्से को खर्च करने में असमर्थ थे। बिल अनुसार अगर राज्यों को ज़्यादा धन मिलेगा तो, कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन और वन संरक्षण का कार्य करने के लिए, धन का असरदार उपयोग वन विभागों की क्षमता पर निर्भर करेगा।
- भूमि अधिग्रहण में कठिनाई: सीएजी और सरकार दोनों ने उल्लेख किया कि कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन के लिए भूमि मिलना मुश्किल होता है। 5.7 कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन का नियम है कि जब कोई एजेंसी परियोजना के लिए वन भूमि लेती है तब बदले में उसे, कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन के लिए, राज्य को दूसरी भूमि देनी चाहिए। 'भूमि के बदले भूमि' की ज़रूरत को पूरा करना मुश्किल होता है क्योंकि भूमि एक सीमित संसाधन है, जिसकी ज़रूरत विभिन्न उद्देश्यों के लिए होती है (जैसे कृषि, उद्योग, आदि)। इसके अलावा, भूमि की खरीद में अनेक समस्याएँ होती हैं, जैसे भूमि पर स्पष्ट अधिकार की कमी, भूमि के उपयोग की प्रक्रिया का अनुपालन करने में कठिनाई, आदि। 8 कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन के लिए भूमि को 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा पाने का अधिकार और पारदर्शिता एक्ट, 2013'' के तहत भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 9
- कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन की खराब गुणवता: 2014 में, पर्यावरण संबंधी क़ानूनों की समीक्षा करने वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने उल्लेख किया कि कुल वन और वृक्ष आवरण तो बढ़ा है (1951 में 4 लाख वर्ग किलोमीटर से 2014 में 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर), पर इस आवरण की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आई है। मिसित ने गौर किया कि इस गिरावट के पीछे एक कारण कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन के लिए लगाए जाने वाले वनों की खराब गुणवत्ता है। जब वनों की गुणवत्ता खराब होगी तब खराब मिट्टी और उचित रखरखाव न होने आदि के कारण लगाए गए पौधे ज़्यादा समय तक बचे नहीं रह सकते हैं। इस करी हैं।

नेट प्रेज़न्ट वैल्यू (एनपीवी) का निर्धारण

बिल का क्लॉज़ 2(ञ) कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन भुगतान के अलावा, राष्ट्रीय और राज्य फंड्स में वनों के नेट प्रेज़न्ट वैल्यू (एनपीवी) के लिए भुगतान शामिल होता है। एनपीवी पर्यावरणीय सेवाओं की हानि का मूल्यांकन होता है (जैसे लकड़ी, जैवविविधता, कार्बन संग्रह)। बिल में केंद्र सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी को एनपीवी का निर्धारण करने का अधिकार है (कमेटी में कौन शामिल होगा यह स्पष्ट नहीं है)। कुल इकट्ठा धन का 51% हिस्सा एनपीवी का है इसलिए कमेटी को सौंपे जाने वाले कार्य यानि एनपीवी की गणना के तरीके को समझना महत्वपूर्ण होगा।3

अतीत में, एक्सपर्ट कमेटियों ने एनपीवी की गणना के तरीकों की जाँच की है, और अलग-अलग सुझाव दिए हैं। व्यापक तौर पर, एनपीवी की गणना में पहले वनों को उनके पारिस्थितिकीय महत्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फिर वर्गों के हिसाब से उस वन से निश्वित समय अविध में मिलने वाले माल और सेवाओं के चुनिंदा समूह का मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान में एनपीवी की गणना सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त कमेटी (2007) के सुझावों के आधार पर की जाती है। फिर, सरकार ने एनपीवी की गणना के तरीके की जाँच के लिए मधु वर्मा कमेटी को नियुक्त किया और तरीके में संशोधनों का सुझाव दिया। कमेटी ने 2014 में अपनी रिपोर्ट जमा की। तालिका 3 में एनपीवी का निर्धारण करने के वर्तमान तरीके और मधु वर्मा कमेटी (2014) के सुझावों के बीच मुख्य अंतरों का सारांश दिया गया है।

24 नवंबर, 2015 - 3 -

तालिका 3: एनपीवी निर्धारण का वर्तमान तरीका और एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों की तुलना

J. J		
	वर्तमान तरीका	मधु वर्मा कमेटी (2014)
एनपीवी की गणना के लिए	18 वर्गः वनों के प्रकार और सघनता पर	56 वर्गः वनों के प्रकार और सघनता पर आधारित, प्रत्येक वर्ग की
वनों का वर्गीकरण	आधारित	अलग गणना के लिए वर्गों का विस्तार किया गया है
मूल्यांकित वन संबंधी माल	11 माल और सेवाएँ (जैसे कि लकड़ी, ईंधन	12 माल और सेवाएँ (मृदा संरक्षण, जल पुनर्भरण, आदि को जोड़ा गया
और सेवाओं की सूची	की लकड़ी, कार्बन संग्रह, ईको-पर्यटन)	है; ईकोपर्यटन आदिको हटायागयाहै)
गणना की समय अवधि	20 वर्ष की अवधि के दौरान का मूल्यांकन	वनों के प्रत्येक वर्ग में प्रमुख प्रजातियों द्वारा, परिपक्व होने के लिए,
		लिए गए समय पर निर्भर करता है
एनपीवी धन का उपयोग	केंद्र (90%) और राज्य (10%)	केंद्र (16%), राज्य (34%) और स्थानीय (50%) क्योंकि आजीविका और
		गुजर-बसर के लिए स्थानीय समूह ज़्यादातर वनों पर निर्भर करते हैं

स्रोत: एनपीवी की समीक्षा (मधु वर्मा कमेटी), 2014; केंद्रीय अधिकार प्राप्त कमेटी, 2007; सुप्रीम कोर्ट का निर्णय⁴; पीआरएस।

2008 बिल और स्थायी समिति के सुझावों की तुलना

कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन बिल, 2008 द्वारा राष्ट्रीय फंड को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इस बिल की जाँच करने वाली स्थायी समिति ने गौर किया कि इससे नियंत्रण का केंद्रीकरण होगा, और उल्लेख किया कि बिल का मसौदा राज्यों से परामर्श के बिना तैयार किया गया था। इस संदर्भ में, समिति ने बिल को रद्द करने का सुझाव दिया।12

नानिका 4: 2015 बिन. 2008 बिल और स्थायी समिति के सझावों के बीच तलना

2008 बिल	2008 बिल पर स्थायी समिति	2015 बिल
	धन का आबंटन	
 वन भूमि के डाइवर्शन का धन प्राप्त करने के 	 इससे नियंत्रण का केंद्रीकरण होगा और 	 राष्ट्रीय (10% धन) और राज्य फंड्स (90% धन)
लिए राष्ट्रीय फंड की स्थापना करता है;	कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन में देरी होगी	की स्थापना करता है
 राष्ट्रीय कैम्पा राज्यों को उनके योगदान और 	(राज्य पहले धन राष्ट्रीय फंड के लिए	 राष्ट्रीय कैम्पा राज्यों को धन के आबंटन पर
अदालत के आदेशों के आधार पर धन	इकट्ठा करेंगे, फिर केंद्र उसे राज्यों को	निर्णय नहीं देगा क्योंकि बिल में धन को
आबंटन करेगा	आबंटित करेगा)।	साझा करने का अनुपात दिया गया है
	 राज्यों के अधिकारों और कार्यों पर 	
	अतिक्रमण करता है	
	धन का उपयोग	
 वनरोपण, निगरानी, आदि पर; विशेष रूप से 	 कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड के 	 वन निर्माण और वन्यजीव संबंधित योजनाएँ,
• कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन भुगतान का	भुगतान को केवल कंपेनसेटरी	निगरानी, आदि; विशेष रूप से
उपयोग वन डाइवर्शन के साथ-साथ	अफोरेस्टेशन पर खर्च किया जाना	• कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड: 2008 बिल के
स्वीकृत स्थान विशेष योजनाओं परः	चाहिए (वनरोपण, निगरानी, आदि पर	समान
 एनपीवी का उपयोग ग्रीन इंडिया प्रोग्राम*, 	नहीं)**	• एनपीवी: 2008 बिल के समान लेकिन ग्रीन
वनों को दोबारा तैयार करने आदि पर		इंडिया का कोई उल्लेख नहीं है
	फंड प्रबंधन अथॉरिटीज़ के कार्य	
 वनरोपण करना, ग्रीन इंडिया प्रोग्राम और जल- 	• अथॉरिटी कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन करने	 व्यापक पॉलिसी तैयार करे, वन निर्माण और
विभाजक विकास का निरीक्षण, धन के उपयोग	के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए,	वन्यजीव संबंधित योजनाओं को तैयार करे
पर निगरानी, धन के गलत उपयोग होने पर	वनरोपण कार्यक्रमों, जल-विभाजक	और लागू करे, धन से प्रति वर्ष किए जाने
धन जारी करने पर रोक, पॉलिसी तैयार करना,	विकास, निगरानी, आदि के लिए नहीं	वाले कार्यों पर निर्णय और पर्यवेक्षण, धन के
आदि		उपयोग की निगरानी और ऑडिट करे, आदि

* वनरोपण के लिए कार्यक्रम** कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन, वनरोपण से अलग होता है क्योंकि यह वनों की कटाई के बदले पेड़ लगाने की प्रक्रिया होती है; स्रोत: कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड बिल, 2015; कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड बिल, 2008; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति की 194वीं रिपोर्ट; पीआरएस।

यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गयी थी। हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। हिंदी रूपांतर में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

24 नवंबर, 2015

^{1.} Starred Question No. 84, Rajya Sabha, April 30, 2015; Starred Question No. 117, Lok Sabha, July 28, 2015.

^{2.} Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980, Ministry of Environment & Forest, 2004.

Summaries of FCA Projects, Website of e-Green Watch, Last visited on October 5, 2015.

TN Godavarman vs Union of India, Writ Petition 202 of 1995, Supreme Court, October 29, 2002, March 12, 2014.

^{5.} Report of the Comptroller and Auditor General of India on Compensatory Afforestation in India, Report No. 21 of 2013.

The Guidelines on State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, July 2, 2009. F. No. 11-306/2014-FC, Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, August 8, 2014.

^{8.} Chapter II of Economic Survey, 2013-14.

^{9.} Section 2, Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

Report of High Level Committee to review various Environment Acts, November 2014.
 Central Empowered Committee Report, 2007, Report on the Revision of Rates of NPV, 2014.
 194th Report, Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests, October 22, 2008.